## आदेश

उत्तर प्रदेश विधान परिषद, कुमायूँ स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र, अल्मोड़ा के उम्मीदवार के रूप में श्री जवाहर सिंह परिहार पुत्र श्री गोपाल सिंह परिहार, निवासी ग्राम असौं, विकास खण्ड काकोट, जनपद बागेश्वर द्वारा अभयर्थी के रूप दायर नामांकन पत्र एवं तत्सम्बन्धित पत्रावली का अध्ययन किया गया तथा साथ ही प्रार्थना पत्र के साथ उपलब्ध संलग्नकों अभिलेखों एवं शपथ पत्र आदि पत्रों की भी सम्यक विवेचाना की गई।

अभयर्थी के आवेदन पत्र के साथ प्रपत्र—2 ड. में 10 प्रस्तावकों के नाम निर्वाचन नामावली के अनुसार उपलब्ध करवाये गये हैं तथा आवेदक प्रश्नगत चुनाव हेतु आयु सम्बन्धी निर्धारित अर्हता को भी पूर्ण करता है। उसकी आयु नामांकन पत्र के अनुसार 39 वर्ष है। प्रार्थी के द्वारा प्रपत्र संख्या—43 (ए) में निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित निक्षेप की धनराशि रू. 5,000—00 विधिवत जमा की गई है तथा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

अभ्यर्थी के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वार निर्दिष्ट लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा—8 के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रारूप पर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें धारा—8 के अन्तर्गत कतिपय अपराधों के लिए दोष सिद्ध पर निर्हता सम्बन्धी सूचना शपथ पत्र के माध्यम से मांगी गई है।

उ.प्र. विधान परिषद, कुमायूँ स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के नामांकन पत्र को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में आज दिनांक 12.12.97 के पूर्वाहन 1.00 बजे एक आपत्ति श्री प्रकाश पन्त पुत्र श्री मोहन चन्द्र पन्त, निवासी खड़कोट, तहसील एवं जिला पिथौरागढ़ द्वारा दायर की गई है एवं जो पत्रावली पर उपलब्ध है। आपत्तिकर्ता द्वारा अपनी आपत्ति में इस बात का उल्लेख किया गया है कि श्री जवाहर सिंह उपरोक्त एक सजा प्राप्त व्यक्ति हैं जिसको विभिन्न न्यायालयों द्वारा निम्नवत विभिन्न अपराधों में दण्डित किया गया है :--

- मु.अ.सं. 36 / 75 अन्तर्गत धारा 395, 397, 390 भादिव दो वर्ष का कारावास।
- मु.अ.सं. 38 / 75 अन्तर्गत धारा 25, शस्त्र अधिनियम 6 माह का कारावास।
- मु.अ.सं. 2/77 अन्तर्गत धारा 379/411 भ.द.वि. 6 माह का कारावास।
- 4. मु.अ.सं. 133 / 76 अन्तर्गत धारा 452, 352 ता.हि. 6 माह का कारावास।
- 5. मु.अ.सं. सत्र परीक्षण संख्या 33/86 अन्तर्गत धारा 302/34 307/34 एवं 379 भा.द.वि. आजीवन कारावास। इसी मुकदमें में श्री जवाहर सिंह परिहार को माननीय सत्र न्यायालय द्वारा धारा 302 में आजीवन कारावास धारा 307 में 7 वर्ष की कारावास एवं 379 में 1 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया है।

आपत्ति कर्ता का कथन है कि चूँकि श्री जवाहर सिंह परिहार विभिन्न मामलों में विभिन्न अपराधों के लिये दोष सिद्ध किया जा चुका है। अतः निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अन्तर्गत वह उ.प्र. विधान परिषद, कुमायूँ स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार के रूप में निर्धारित पात्रता न रखने का कारण अर्ह नहीं है। आपत्तिकर्ता द्वारा अपनी आपत्ति के साथ श्री जवाहर सिंह परिहार के विरूद्ध निर्णीत दोष सिद्ध आदेशों की प्रमाणित प्रतियां भी प्रस्तुत की गई हैं।

पत्रावली के सम्यक परीक्षण से स्पष्ट है कि श्री जसवाहर सिंह परिहार के विरूद्ध मु.अ.सं. 36/75 अन्तर्गत धारा 394 भा.द.वि. में विद्वान मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा द्वारा दोष सिद्धि का आदेश पारित किया गया थ्या, जिसे वह काट चुका है। अपराध सं. 38/75 अन्तर्गत धारा 25 शस्त्र अधिनियम में विद्वान मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा द्वारा दोष सिद्धि का आदेश पारित किया गया, जिस भी वह काट चुका है। अपराध संख्या 2/76 अन्तर्गत धारा 452, 352 ता.हि. में विद्वान मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा द्वारा दोष सिद्धि का आदेश पारित

किया गया था, उसे भी वह काट चुका है। सत्र परीक्षण संख्या 33/86 अन्तर्गत धारा — 302/34, 307/34 एवं 379 ता.हि. में मा. सत्र न्यायाधीध, अल्मोड़ा द्वारा श्री जवाहर सिंह परिहार को धारा — 302 के अन्तर्गत आजीवन कारावास, धारा 307 के अन्तर्गत सात वर्ष तथा 379 के अन्तर्गत एक वर्ष की कारावास का दण्ड दिया गया है जिसमें वह माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से जमानत पर अवमुक्त हुआ है एवं मामला न्यायालय में लम्बित है।

आपत्तिकर्ता के द्वारा अपनी आपत्ति में अभ्यर्थी श्री जवाहर सिंह परिहार के विरूद्ध मु.अ.सं. 1270/96 थाना हल्द्वानी अन्तर्गत धारा 147, 149, 302, 201 एवं 120 ता.हि. के चलने का भी उल्लेख किया गया है।

आपत्तिकर्ता के द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा—8 के अन्तर्गत उपरोक्त दण्डादेशों के कारण अभ्यर्थी श्री जवाहर सिहं परिहार के आवेदन पत्र / नामांकन पत्र को निरस्त किये जाने एवं उन्हें निर्हरित किये जाने विषयक प्रस्तुत किये गये तथ्यों तथा अभ्यर्थी श्री जवाहर सिंह परिहार द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र एवं उसके साथ भारत सरकार निर्वाचर आयोग के निर्देशानुसार प्रसतुत किये गये संलग्नकों / प्रपत्रों के अध्ययन / विवेचना से यह स्पष्ट है कि यह प्रकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा—8 की उपधारा—3 के अन्तर्गत आता है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि "कोई व्यक्ति जो उपधारा— (1) या उपधारा— (2) में निर्दिष्ट किसी अपराध से भिन्न किसी अपराध के लिये सिद्ध दोष उहराया गया है और दो वर्ष से अन्यून के कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है, ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से निर्हरित होगा और उसे छोड़े जाने से 6 वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिये निर्हित बना रहेगा।"

अभ्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपित्तकर्ता की आपित्तयों के सम्बन्ध में भी आज दिनांक 12.12.97 को पूर्वाहन 11.00 बजे अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया तथा बहस की गई। अभ्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा सचिन्द्रनाथ त्रिपाठी बनाम दूधनाथ में पारित आदेश दिनांक 21.1.87 की ओर ध्यान आकर्षित किया।

मैंने अभ्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा नजीर एवं मा. उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश द्वारा श्री पूर्षोत्तम लाल कौशिक बनाम विद्यचरण शुक्ला (66 निर्वाचन लॉ रिपोर्ट-110) एवं मा. उच्च न्यायालय हिमांचल प्रदेश द्वारा विक्रम आन्नंद बनाम राकेश सिघा तथा इस सम्बन्ध में मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्थाओं एवं सम्बन्धित नियमों तथा अधिनियमों का अध्ययन किया। अभ्यर्थी श्री जवाहर सिहं परिहार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने पक्ष पर बल देते हुए इस बात पर बल किया है कि धारा-8 (3) लो. प्र. अधि. के अन्तर्गत कोई व्यक्ति दोष सिद्धि के आदेश से पारित के 6 वर्ष के उपरान्त चुनाव लड़ने हेतु अर्ह माना जावेगा तथा अपने कथन में इस बाल का भी उल्लेख ाकिया गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधि. की धारा-8 (3) में छोड़े जाने की तिथि के बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया रगया है। उनका यह भी कळान था कि अभ्यर्थी श्री जवाहर सिहं परिहार को मा. उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.9.87 को सत्र परीक्षण संख्या 33/86 में मा. सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध जमानत पर छोड़े जाने के आदेश दिये गये थे तथा इसके बाद 6 वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी है अतः अभ्यर्थी श्री जवाहर सिहं परिहार उ.प्र. राज्य विधान परिषद, कूमायूँ स्थानीय प्राधिकारी ानिर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में भाग लेने हेतू पूर्णरूप से अर्ह हैं तथा उनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि यदि उनको यह चुनाव लड़ने नहीं दिया जाता है तो उनको अपूर्णनीय क्षति होगी एवं वह जीवनभर ाचुनाव नहीं लड़ पायेंगे।

अभ्यर्थी श्री जवाहर सिहं परिहार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों, पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों तथा सुसंगत अधिनियमों की सम्यक विवेचना के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि लोक प्रितिनिधित्व अधिनियम की धारा –8 (3) के अनतर्गत कोई भी व्यक्ति दोषसिद्धि के कारावास की अवधि काट चुकने के उपरान्त / छोड़े जाने के उपरान्त 6 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने पर निर्वाचन में भाग लेने हेतु अर्ह माना जावेगा। अभ्यर्थी श्री जवाहर सिहं परिहार के विरूद्ध मु.अ.सं.36 / 75, मु.अ.सं.38 / 75, मु.अ.सं.133 / 76 एवं मु.अ.सं. 2 / 77 में पारित दण्डादेशों में उनके द्वारा काटी गई कारावास की अवधि अर्थात उनके छूटने की तिथि से 6 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के कारण, इन मामलों

के कारण उनकी पात्रता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। किन्तु मु.अ.सं. 33/86 अन्तर्गत धारा 302/34, 307/34 एवं 379/ भा.द.वि. में मा. सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा द्वारा दिनांक 01.09.87 को पारित दण्डादेश जिसके विरुद्ध श्री परिहार वर्तमान में मा. उच्च न्यायालय से जमानत पर रिहा किये गये हैं, के सम्बन्ध में उनकी पात्रता के प्रश्न पर सम्यक विवेचना किया जाना आवश्यक है।

इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण पत्रावली के अध्ययन तथा प्रस्तुत तथ्यों के परीक्षण एवं मा. उच्च न्यायालय तथा मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में दी गई व्यवस्थाओं तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ादिये गये निर्देशों के कम में एवं भारत कि संविधान के अनुच्छेद — 141 व 324 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार मा. उच्च्तम न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश एवं दी गई व्यवस्थाओं को सम्पूर्ण भारत वर्ष में कानून के रूप में लिये जाने के निर्देश दिये गये हैं, साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्गत निर्देशों को चुनाव के लिये विधिक स्वरूप प्रदान किया गया है। मैं इस बात से सन्तुष्ट हूं कि छोड़े जाने की तिथि के शब्द को धारा—8 में स्पष्ट नहीं किया गया है लेकिन मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा श्री सचिन्द्रनाथ त्रिपाठी बनाम दूधनाथ (84 इलेक्शन लॉ रिपोर्ट—46) में पारित व्यवस्था — "The disqualification which is an automatic effect of conviction, springs up right at the time of pronouncement of conviction, which finding is yet to be reserved or set aside......

It is to be seen as to what the effect of bail, granted to the respondent before the date of filing the nomination. If no bail is granted and the execution of the sentence is not suspended by the stay orders, then the accused will remain in jail and the only effect of granting bail is that he is released from the confinement. Grant of bail does not interfere with the finding of conviction and that cannot render the disqualification, automatically emerging from conviction, inoperative"

तथा मान्नीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश द्वारा पुरूषोत्तम लाल कौशिक बनाम विद्याचरण शुक्ला (66 इलैक्शन लॉ रिपोर्ट्स—110) में पारित व्यवस्था :— "It is obvious that the decision of the returning officer must depend on facts as they existed on the date of scrutiny since it is beyond human comprehension to visualise subsequent events and to base the decision of validity of nominations on the unknown future events. The improper rejections of a nomination within the meaning of expression used in section 100 (1) (c) and improper acceptance in section 100 (1) (d) (1) of the R. P. Act, 1951, must, therefore, mean whether the rejection or acceptance of the nomination by the Returning Officer was improper with reference to section 36 (2) (a) on the basis of facts existing on the date of scrutiny which alone where available to him and where relevant for deciding the validity on the nominations.

The question now is of the effect of suspension of the sentence by the appellate courts. Section 389 Cr.P.C. which gives this power to the first court till filling of the appeal and than to the appellate courts enables suspension of execution of the sentence or order appealed from. It is only the execution which is suspended and nothing more with the result that the sentence awarded is not to be suffered during the pendency of the appeal even though it subjects and the appellant is released on bail. There is no indication in section 8 (2) of the R. P. Act that the disqualification thereunder remains in abeyance during the pendency of appeal against conviction. On the other hand section 8 (3) gives the contrary indication by laying down an exception only in case of sitting members. Suspension of execution of the sentence or order and grant of bail under section 389 Cr. P. C. has the only effect of avoiding sufferance of sentence pending appeal, but then in order to attract the disqualification under section 8 (2) it is not necessary to suffer any part of the sentence awarded. This has also been held by the Supreme Court in Sarat Chandra's case (Supra). This decision also indicates that suspension of sentence does not wipe out the conviction and the sentence. It was held that a reprieve is a temporary suspension of the sentence which does not wipe it out, all that it does is to have and effect on the execution of the sentence. If suspension of sentence during pendency of an appeal does not have the effect of wiping it out, it is difficult to accept the contention that the disqualification under section 8 (2) remain arrested or in abeyance during operation of the suspension order pending appeal against the conviction and sentence. This is more so, when in section 8 (2) there is nothing to support this view and section 8 (3) gives contrary indication."

एवं मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 13.09.1994 में दी गई व्यवस्था:—

"Despite suspension of the sentence and release on bail the order of conviction remains in operation holding the person guilty of such offence or offences for which he has been awarded sentence of imprisonment for not less than two years, as such the disqualification as provided under sub section (3) of section 8 of the Act continues, In order to attract disqualification under sub section (3) of section 8 of the Act, the execution of the order of conviction and sentence of imprisonment or any part thereof is not required. What is necessary is the actual conviction and sentence imposed by the Court for not less that two years, which order remains in operation despite stop put to execution of the order of sentence during the pendency of appeal by releasing the convicted person on bail and suspending the sentence awarded to him.

After examining the legal position this Court has come to the conclusion that then the appellate Court passes an order of suspension and / or release on bail on a convicted person, the order of his conviction still remains in existence and the disqualification suffered by him as a result of conviction and sentence, for a period of not less than two years as envisaged under sub section (3) of section—

8 of the Act is not automatically suspended and it continues to be in operation, and"

में निर्देश दिये गये हैं कि दोषसिद्धि के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा अपना नामांकन भरने से पूर्व यदि सक्षम न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया जाता है तो उससवे उसे दोषसिद्धि किये गये निर्णय पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है केवल उसके दोषसिद्धि आदेश के क्रियान्वयन को स्थगित किया जाता है। इसका यह कतई अर्थ नहीं होगा कि दोषसिद्धि के कारण जो अनर्हता उस पर लागू है उस पर उसका कोई प्रभाव पड़ेगा।

अभ्यर्थी एवं उसके विद्वान अधिवक्ता का यह कथन कि वह जीवन भर चुनाव लड़ने से वंछित हो जायेगा स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि जब अभ्यर्थी के द्वारा धारा 8 (3) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत निर्हता की समय सीमा व्यतीत कर ली जायेगी तब वह स्वयं ही चुनाव लड़ने के लिये योग्य हो जायेगा लेकिन आज दिनांक 12.12.97 को मु.अ.सं. 33/86 अन्तर्गत धारा 302/34, 307/34 एवं 379 ता.हि., जिसमें अभियुक्त को धारा 302 ता.हि. में आजीवन कारावास, धारा 307 ता. हि. में सात वर्ष के कारावास एवं धारा 379 ता.हि. में एक रवर्ष के कारावास का दण्ड दिया गया है तथा मान्नीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 10.9.87 को जमानत पर रिहा किया गया है इस तिथि से छै वर्ष माना जाना गलत होगा तथा मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्थाओं के प्रतिकृत होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी श्री जवाहर सिंह परिहार के विरूद्ध थाना हलद्वानी में पंजीकृत अपराध संख्या 1270/96 अन्तर्गत धारा 147, 149, 302, 201 एवं 120 भा.द.स. भी विचाराधीन हैं किन्तु अभ्यर्थी के द्वारा अपने शपथ पत्र में इस अपराध का कोई उल्लेख नहीं किया ागया है। आया कि इस बाद से अभ्यर्थी के निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में खड़े होने की पात्रता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि प्रश्नगत वाद में सक्षम न्यायालय द्वारा अभी कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है किन्तु फिर भी अभ्यर्थी अपने शपथ पत्र में इस तथ्य का उल्लेख न करने के कारण तथ्यों को छिपाने का दोषी है।

उपरोक्त तथ्यों एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों तथा तत्सम्मत नियमों/ अधिनियमों की सम्यक विवेचना के उपरान्त श्री जवाहर सिंह परिहार का प्रार्थना पत्र, उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद, कुमायूँ स्थानीय प्राधिकारी सनिर्वाचन क्षेत्र, अल्मोड़ा से उम्मीदवार के रूप में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है एवं उनके प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जाता है।

दिसम्बर 12, 1997।

(संजय भूसरेड्डी) रिटर्निंग आफीसर उत्तर प्रदेश विधान परिषद कुमायूँ स्थानीय प्राधिकारी, निर्वाचन क्षेत्र अल्मोड़ा।